अंत्योदय सरल

रोजगार विभाग

सक्षम युवा योजना के लिए पंजीकरण (योजना)

पात्रता

1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
2. आवेदक किसी प्रकार के सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध–सरकारी और स्वरोजगार, में शामिल नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं हो।
4. आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय के संजीव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि 10+2 आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in पर साथ–साथ अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है।
5. पंजीकरण केवल डिजीटल मोड मे हारट्रोन द्वारा बनाए गए पोर्टल https://hreyahs.gov.in पर ओनलाइन होगा।
6. आवेदक द्वारा 10+2 परीक्षा हरियाणा विद्यालय षिक्षा बोर्ड, भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE) दिल्ली और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड (ICSE) दिल्ली से संबद्ध उस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रुप मे पास की होनी चाहिए, जो हरियाणा और यूटी चंडीगढ में ही स्थित हो।
7. आवेदक पूर्णकालिक पाठयक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक की 10+2 परीक्षा पत्राचार/ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से उत्तीर्ण नही होनी चाहिए।

9. आवेदक की आयु 10+2 उतीर्ण के लिए 18 से 35 और स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
10. आवेदक द्वारा पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और राज्यसंघ क्षेत्र चंडीगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या हरियाणा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल नियमित कोर्सों के माध्यम से उपाधि प्राप्त की गई हो।
11. आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
12. आगे, आवेदक निम्नलिखित शर्तों सहित स्वंय सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करेगाः–

- यह कि आवेदक के घर में कार्यात्मक शौचालय है, यदि आवेदक के घर में कार्यात्मक शौचालय नहीं हैं, तो वह पंजीकरण की तिथि से दो मास के भीतर कार्यात्मक शौचालय बनवाएगा।
- यह कि आवेदक के परिवार की तरफ बिजली विभाग या इसकी कम्पनियों के बकायों का भुगतान लम्बित नहीं है/व्यतिक्रमी नहीं है, यदि व्यतिक्रमी है, तो बकायों के भुगतान लिए मानदेय/भत्ता के भाग का उपयोग करने का वचन देगा।
- यह कि आवेदक का परिवार किसी सहकारी बैंक का व्यतिक्रमी नहीं है और यदि व्यतिक्रमी है, तो वह ऐसे बकायों के भुगतान के लिए मानदेय/भत्ता के भाग का उपयोग करने का वचन देगा।
- यह कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने सार्वजनिक/पंचायत भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है।
- यह कि आवेदक का परिवार शहरी स्थानीय निकाय को भुगतान योग्य गृह कर का व्यतिक्रमी नहीं है, और यदि व्यतिक्रमी है, तो ऐसे बकायों के भुगतान के लिए मानदेय/भत्ता के भाग का उपयोग करने का वचन देगा।

अंत्योदय सरल

डिजिटल हरियाणा

उपलब्ध लाभ

1. स्नातकोत्तर आवेदक को 3000/– रुपये प्रतिमास तथा स्नातक आवेदक को 1500/– रुपये प्रतिमास तथा 10+2 आवेदक को 900/– रुपये प्रतिमास की दर पर बेरोजगारी भत्ता।
2. 100 घण्टे कार्य के लिए 6000/– रुपये प्रतिमास की दर पर मानदेय।
3. मानदेय अधिकतम सीमा 3 वर्ष (36 महीने) तक या 35 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक देय होगा। तीन वर्ष की अवधि मानद कार्य प्रदान करने की तिथि से प्रारम्भ होगी और 35 वर्ष की आयु का निर्धारण सटीक 35 वर्ष पूरे होने की तिथि के आधार पर होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

1. आयु का प्रमाण :मैट्रिकूलेशन प्रमाण–पत्र।
2. निवास प्रमाण :
    - आधार कार्ड।
    - हरियाणा अधिवास प्रमाण–पत्र।
3. आय प्रमाण : आय प्रमाण पत्र।
4. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण : 10+2/उपाधि प्रमाण–पत्र।

अंत्योदय सरल

डिजिटल हरियाणा

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
शुल्क नहीं	रु. 10/-	रु. 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 15 दिन